



भारत में शहरी स्थानीय शासन

यह एडिटरियल 13/07/2022 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "The scale of municipal finances is inadequate" लेख पर आधारित है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों से संबद्ध चुनौतियों और उन्हें सशक्त बनाने के उपायों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

शहरीकरण भारतीय समाज की एक आम विशेषता बन गया है। चूँकि शहर वैश्वीकरण के मुख्य लाभार्थी रहे हैं और शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, रोज़गार की तलाश में लाखों लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

- यह भारतीय शहरों को भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के संचालक या प्रेरक के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके लिये आधारभूत संरचना में वृद्धि और उनके उन्नयन की आवश्यकता है जिसके लिये राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सक्रिय समर्थन की ज़रूरत है।
- हमारा संविधान न केवल राज्य नीति के नदिशक सदिधांतों के माध्यम से बल्कि विशेष रूप से **संविधान के 73वें और 74वें संशोधन**, जो देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वास्तविक रूप से स्वशासी स्थानीय निकायों के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली के लिये एक संस्थागत ढाँचा तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं, के माध्यम से भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिये एक स्पष्ट अधिदेश प्रदान करता है।
- हालाँकि संवैधानिक अधिदेश के बावजूद देश में शासन के तृतीय स्तर के रूप में स्वशासी स्थानीय निकायों का विकास असमान और धीमा ही रहा है। इन निकायों को 3'F' (Funds, Functions and Functionaries) का हस्तांतरण नाममात्र (केरल जैसे उल्लेखनीय अपवादों के साथ) ही रहा है।
- स्थानीय शासन में संस्थागत सुधारों को आर्थिक सुधारों के साथ जोड़ना गांधीजी के 'पूर्ण स्वराज' में अंतर्निहित दूरदर्शी दृष्टि रही थी। लेकिन वर्तमान वस्तुस्थिति इसके विपरीत है जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2021 में जारी अपनी 'राज्य वित्त: 2021-22 के बजट का अध्ययन' शीर्षक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में तृतीय स्तर की सरकारें रोकथाम रणनीतियों, स्वास्थ्य देखभाल, क्वारंटाइन एवं परीक्षण सुविधाओं को कार्यान्वयित करके, टीकाकरण शक्ति आयोजित करके और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्तिको बनाए रखकर महामारी का मुकाबला करने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर दबाव में आ गई है और वे अपने व्यय में कटौती करने तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने के लिये बाध्य हो रही हैं।

भारत में शहरी स्थानीय सरकार की संरचना का स्वरूप

शहरी स्थानीय सरकार आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय के रूप में कार्यरत हैं:

- नगर नगिम:
 - नगर नगिम (Municipal corporations) आमतौर पर बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े नगरों में कार्यरत हैं।
- नगरपालिका:
 - छोटे शहरों में नगरपालिकाओं (Municipalities) का प्रावधान है।
 - नगरपालिकाओं को प्रायः नगर परिषद, नगरपालिका समिति, नगरपालिका बोर्ड जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है।
- अधिसूचित क्षेत्र समिति:
 - तेज़ी से विकसित हो रहे कस्बों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित कस्बों के लिये अधिसूचित क्षेत्र समितियों (Notified area committees) का गठन किया जाता है।
 - अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।
- नगर क्षेत्र समिति:
 - नगर क्षेत्र समिति (Town Area Committee) छोटे शहरों में पाई जाती है।
 - इसके पास स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज रोड और कंजर्वेंसी जैसे न्यूनतम अधिकार होते हैं।
- छावनी बोर्ड:
 - छावनी बोर्ड (Cantonment Board) आमतौर पर छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक आबादी के लिये स्थापित किया जाता है।
 - इसे केंद्र सरकार द्वारा गठित और संचालित किया जाता है।
- टाउनशिप:

- कसिी संयंत्र या प्लांट के पास स्थापति कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों और शर्मकों को बुनयिदी सुवधिाँ प्रदान करने के लयि टाउनशिपि के रूप में शहरी सरकार स्थापति की जाती है ।
- इसका कोई नरिवाचति सदस्य नही होता और यह नौकरशाही संरचना का ही वसितार होता है ।
- पोर्ट ट्रस्ट
 - पोर्ट ट्रस्ट (Port trusts) मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापति कयि गए हैं ।
 - यह बंदरगाह का प्रबंधन और देखभाल करता है ।
 - यह उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बुनयिदी नागरकि सुवधिाँ भी प्रदान करता है ।
- वशिष प्रयोजन एजेंसिी:
 - वशिष प्रयोजन एजेंसिी (Special Purpose Agency) नगर नगिमों या नगरपालकिाओं से संबधति नरिदषिट गतविधिथिों या वशिषिट कार्यों को पूरा करती है ।

शहरी स्थानीय नकियाँ के समकष वदियमान समस्याँ

- वत्तितीय कमी:
 - ज़मीनी स्तर पर सुशासन हेतु वत्तितीय तंगी सबसे बड़ी बाधा बन गई है ।
 - अंतर-सरकारी स्थानांतरण पर नरिभरता:
 - शहरी स्थानीय सरकार राज्य की संचति नधििसे सहायता अनुदान प्रापुत करने के लयि राज्य सरकारों पर बहुत अधकि नरिभर करती है ।
 - राजस्व में हसिसेदारी की गंभीर कमी:
 - सामानयत: उनके कार्यों की तुलना में उनकी आय का स्रोत अपर्यापुत होता है । उनकी आय का मुख्य स्रोत उनके द्वारा एकत्र वभिनिन प्रकार के कर हैं ।
 - हालाँकि शहरी नकियाँ द्वारा एकत्र कयि जाते कर प्रदत्त सेवाओं पर व्ययों की पूरुत के लयि पर्यापुत नही होते ।
 - यदयपि वे कुछ नए कर भी लगा सकते हैं, लेकनि इन स्थानीय नकियाँ के नरिवाचति सदस्य अपने मतदाताओं को नाराज कर देने के भय से ऐसा करने से संकोच रखते हैं ।
- अनयिोजति शहरीकरण:
 - उचति योजना के अभाव में नगर नकिया सेवाओं के लयि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से जनसंख्या की बढती आवश्यकताओं की पूरुत करना कठनि होता है ।
 - स्थानीय नकियाँ की प्रशासनकि मशीनरी अपर्यापुत है । भूमिका वविकपूरण उपयोग नही हो रहा है, स्कूल, पार्क और अस्पताल जैसी आवश्यक सुवधिाँ के बनिा कॉलोनियों की स्थापना की जा रही है, मलनि बसुतथिों के वकिस पर नयितरण नही रखा जा रहा है और यातायात भीड़ की स्थति समस्याजनक है ।
 - इससे शहरी नरिधनता, बेरोज़गारी और पारस्थितिकि क्षरण जैसे परणाम भी उत्पन्न होते हैं ।
- राज्य सरकार का अत्यधकि नयितरण:
 - राज्य सरकार शहरी स्थानीय नकियाँ का नयितरण रखती है । उन पर वधियाी, प्रशासनकि, न्यायकि और वत्तितीय नयितरण उन्हें स्वशासन सरकारों के रूप में कार्य करने देने के बजाय अधिनस्थ इकाइयों में परणित कर देता है ।
 - नगर नकियाँ को वैधानकि शर्तों के अनुरूप अपने बजट को संतुलति बनाए रखने की आवश्यकता होती है और उनके द्वारा लयि जाते कसिी भी उधार को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदति कयिा जाना होता है ।
 - केंद्र और राज्यों के वपिरीत शहरी स्थानीय सरकार के स्तर पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच कोई अंतर नही कयिा जाता है ।
- एजेंसिी की बहुलता:
 - राज्य सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में और शहरी स्थानीय सरकार के प्रतिकसिी जवाबदेही के बनिा एकल प्रयोजन एजेंसिी (Single Purpose Agencies) का गठन कयिा जाता है । नगर नकियाँ को इन एजेंसिी के लयि बजट में योगदान करना होता है, जबकि वे इनके ऊपर कोई नयितरण शक्ति नही रखते ।
 - उदाहरण: राज्य परविहन नगिम, राज्य वदियुत बोर्ड, जल आपूरुतविभाग आदि ।
- लोगों की नमिन भागीदारी:
 - साकषरता और शैकषकि स्तर के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के बावजूद शहर के नविासी शहरी सरकारी नकियाँ के कार्यकरण में पर्यापुत रुचि नही लेते हैं ।
 - वशिष प्रयोजन एजेंसिी और अन्य शहरी नकियाँ की बहुलता लोगों को उनकी भूमिका सीमितताओं के बारे में भ्रमति करती है ।

शहरी स्थानीय सरकारों को कैसे सशक्त बना सकते हैं?

- आर्थकि रूप से स्वतंत्र बनाना:
 - शहरी स्थानीय सरकारों के स्वतंत्र और वत्तितीय रूप से सुरकषति होने के लयि वत्तितीय वकिेंद्रीकरण अत्यंत महत्त्वपूरण है ।
 - राजस्व को सुदृढ़ करना:
 - सभी वत्ति आयोगों ने नगर नगिम के वत्ति में सुधार के लयि संपत्तिकर राजस्व बढाने की आवश्यकता की अनुशंसा की है । वशिष रूप से—
 - 12वें वत्ति आयोग ने संपत्तिकर प्रशासन में सुधार के लयि भौगोलकि सूचना प्रणाली (GIS) और डिजिटलीकरण के उपयोग को प्रोत्साहति कयिा ।
 - 13वें वत्ति आयोग ने राज्यों की नषिपादन अनुदान पात्रता (Performance Grant Eligibility) के लयि आवश्यक शर्तों में से

एक के रूप में राज्य संपत्तिकर बोर्ड (State Property Tax Board) की स्थापना को अनविरय बनाया ।

◦ राज्य संपत्तिकर बोर्ड का उद्देश्य एक पारदर्शी और कुशल संपत्तिकर व्यवस्था स्थापित करने में नगर नगिमों और नगर परिषदों की मदद करना है ।

• 14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि नगर नकियों को खाली भूमि पर कर लगाने में सक्षम किया जाए ।

■ **बेहतर वित्तीय डेटाबेस:**

◦ स्थानीय स्तर पर खातों के रखरखाव और लेखा परीक्षा के अभाव में नगर नकियों के लिये कोई सत्यापन-योग्य वित्तीय डेटा नहीं होता जिसके कारण नषिपादन अनुदान से इनकार कर दिया जाता है ।

• 13वें और 14वें दोनों ही वित्त आयोगों ने बेहतर डेटा उपलब्धता को नषिपादन अनुदानों की प्राप्ति के लिये आवश्यक शर्त के रूप में शामिल किया ।

■ **सक्रिय नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना:**

◦ शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिये सक्रिय नागरिक भागीदारी की आवश्यकता है ।

• इसे सुनिश्चित करने के लिये, शहरी स्थानीय नकिया क्षेत्रीय सभाओं और वार्ड समितियों जैसे कार्यात्मक, विकेंद्रीकृत मंच का गठन कर सकते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच चर्चा और विचार-वमिश्र की सुविधा प्रदान करेगा ।

■ **नागरिक शिकायत नविवरण तंत्र का सृजन:**

◦ शहरी स्थानीय नकिया शिकायतों को दर्ज करने के लिये एक प्रौद्योगिकी-सक्षम मंच स्थापित कर सकते हैं जो शहर की सरकारों को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाएगा ।

• इस तंत्र के माध्यम से नागरिकों को फीडबैक देने और शिकायतें क्लोज़ करने की भी अनुमति दी जानी चाहिये ।

• शहरी शासन की इन संरचनात्मक और स्थापत्य संबंधी समस्याओं को संबोधित करने से शहरों में प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित होगा, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा ।

अभ्यास प्रश्न: विकेंद्रीकरण पर संवैधानिक अधिदेश के बावजूद शहरी स्थानीय नकियों का विकास असमान और धीमा रहा है । टपिणी कीजिये ।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/urban-local-government-of-india>

